निर्णय बइजलास कमल कुमार मीना आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी
प्रकरण संख्या 169/दावा/2019

1. श्रीमति सोहनबाई बैवा पूरालाल जाति कुल्मी निवासी आंवलीकलां
2. नाथूलाल आ0 पूरालाल जाति कुल्मी निवासी आंवलीकलां
3. रमेशचन्द आ0 पूरालाल जाति कुल्मी निवासी आंवलीकलां
4. नानूराम आ0 पूरालाल जाति कुल्मी निवासी आंवलीकलां

वादीगण

बनाम

1. श्रीमति ख्वाजा बैगम बैवा अब्दुल हक उर्फ अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी चोरखेड़ी हाल मुकाम झालावाड़
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 आरटीए

उपस्थितः— 1. श्री हेमराज शर्मा एड0 वादीगण
2 पेरोकार सरकार प्रतिवादी नं0 2

निर्णय

दिनाक 27.07.2023

वाद के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि गांव चौरखेड़ी तहसील पचपहाड़ मे आराजी ख0नं0 24 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा व ख0नं0 25 रकबा 4 बिस्वा स्थित है जिसे वाद मे वादग्रस्त आराजी कहा जावेगा। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खाते व कब्जे की आराजी थी। जिसका संवत् 2028 —32 के दोरान बंदोबस्त अभियान से पूर्व साबिक ख0नं0 24 व 25 ही था व साबिक रकबा ख0नं0 24 का 09 बीघा 14 बिस्वा व ख0नं0 25 का 7 बिस्वा था। वादग्रस्त आराजी जिसका साबिक ख0नं0 24 व 25 वाके ग्राम चोरखेड़ी रहा है। को वादीगण के पिता

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

पूरालाल आ0 भैरूलाल जाति कुल्मी निवासी आंवलीकलां द्वारा किमतन प्रतिवादी नम्बर एक से जर्ये रजिस्टर्ड बैचान पत्र से दिनांक 22.08.1974 को खरीद की गई थी व उसी दिन कब्जा प्राप्त किया । पुरालाल का देहान्त हो गया है वादीगण उनके एक मात्र कानूनी वारिसान है। वक्त खरिद से पूरालालजी तथा जबसे होश सम्भाला तब से वादीगण का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर लगातार एलानिया शान्तिपूर्वक प्रतिवादी एवं गांव वालो की जानकारी मे चला आ रहा है आज भी वादीगण का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी पर बंदोबस्त अभियान से पूर्व प्रतिवादी नं0 एक का पति सही नाम अब्दुल हक दर्ज था मगर बंदोबस्त अभियान के दोरान जमाबंदी मे प्रतिवादी नं0 एक के पति का नाम अब्दुल हक के स्थान पर अब्दुल रहमान दर्ज हो गया। प्रतिवादी नं0 1 के पति को दोनो नामो से भी जाना जाता है। वादग्रस्त आराजी आज भी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी को आराजी के सम्पूर्ण लाभ प्राप्त नही हो पा रहे है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान अथवा खुर्द बुर्द करने की योजना बना रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 स्वयं तथा अपने प्रतिनिधि की मदद से वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर से जबरन बेदखल कर सकती है वादीगण को काश्त करने से रोक सकती है कब्जा कर सकती है वादीगण अपने स्वामित्व एंव कब्जे की भूमि के उपयोग एवं उपभोग से वंचित हो जावेगा। इससे वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसका दृव्य मे मूल्यांकन नही किया जा सकेगा। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष मे है। प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का वादीगण को पुरा पुरा अधिकार है। वाद के अंत मे वादीगण ने निवेदन किया की वादीगण को आराजी खं0नं0 24 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा व ख0नं0 25 रकबा 4 बीस्वा वाके ग्राम चोरखेड़ी तहसील पचपहाड़ का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी पर से प्रतिवादी नं0 1 ख्वाजा बेगम बैवा अब्दुल रहमान सही नाम अब्दुल हक मुसलमान का नाम हटाकर रेकार्ड मे रद्दोबदल कर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। वादी के ह कमे स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी नम्बर 1 को पाबदं किया जावे कि प्रतिवादी नम्बर 1 वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त मे मदाखलत व मजाहमद करने की या वादीगण को जबरन बेदखल करने की या वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की व बेचान करने की कोशिश न तो

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

स्वयं करे ओर ना ही अपने रिश्तेदार मित्र , एजेंट अथवा नोकर से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सूनवाई का अवसर दिए जाने हेतु जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 के सम्मन तामिल नही होने से अखबार मे साया कराया गया। अखबार की प्रति वकील वादी ने दिनांक 03.03.2020 को पेश की गई जो शा0फा0 की गई तथा प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध दिनांक 01.04.2021 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी नं0 2 पेराकार सरकार उपस्थित ।

वादी ने अपने वाद के समर्थन मे जमाबंदी संवत् 2071–2074 खाता सं0 293 किता 2 रकबा 6.08 बीघा पृदर्श 1 जमाबंदी खेवट खतोनी संवत् 2021–24 मिलान क्षैत्रफल संवत् 2028–47, जमाबंदी संवत् 2028–47, विक्रय पत्र दिनांक 06. 08.1974 , मिलान क्षैत्रफल पृदर्श 5, जमाबंदी संवत् 2028–47 पृदर्श 3 , जमाबंदी खेवट खतोनी संवत् 2017–20पृदर्श 4, मृत्यु प्रमाण पत्र पृदर्श 6A , पेश किया एवं मिलान क्षैत्रफल प्रमाणित वाके ग्राम चोरखेड़ी तहसील पचपहाड़ पेश किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किए गए। तहसीलदार पचपहाड़ ने अपने पत्रांक 6906 दिनांक 22.11.2022 से प्रतिवादी नम्बर 1 के वारिसान की रिपोर्ट भिजवाई गई । पत्र सं0 183 दिनांक 25.01.2023 से विक्रय पत्र मे कोई रद्दोबदल नही होने की रिपोर्ट भिजवाई गई। इसके अतिरिक्त ओर कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया।

तहसीलदार पचपहाड़ से विक्रेता के वारिसान की सूचना चाही जाने पर पत्र सं0 6906 दिनांक 22.11.2022 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसमे तहसीलदार झालरापाटन द्वारा की गई जॉच संलग्न कर भिजवाते हुए अंकित किया गया कि विक्रेता ख्वाजा बेगम लाओलाद फोत हुई साथ ही तहसीलदार पचपहाड़ ने विवादित आराजी पर कब्जे की रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमे वादीगण 40–45 वर्षो से लगातार फसल बोना बताया गया है। प्रकरण मे रजिस्ट्री की वेद्यता के सम्बंध मे तहसीलदार पचपहाड़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो उन्होने उनके पत्र संख्या 183 दिनांक 25.01. 2023 से भिजवाई गई। जिसमे पंजीकृत दस्तावेज मे कोई संशोधन या खारिज होना नही बताया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

ब

वाद मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं0 1– आया वाग्रस्त आराजी के साबिक ख0नं0 24 रकबा 9.14 बीघा हाल ख0नं0 24 रकबा 6.04 बीघा व ख0नं0 25 रकबा 0.07 बीघा हाल ख0नं0 25 रकबा 0.04 बीघा है।

तनकी नं0 2– आया वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता द्वारा किमतन प्रतिवादी नं0 1 से जर्ये रजि0 बेचान पत्र दिनांक 22.08.1974 को खरिद तथा कब्जा प्राप्त किए जाने से वादीगण खातेदार टिनेन्ट घोषित होने की पात्रता रहते है।

तनकी नं0 3– आया वादग्रस्त आराजी मे बंदोबस्त अभियान से पूर्व प्रतिवादी न0 1 के पति का नाम अब्दुल हक एवं बंदोबस्त अभियान के बाद पति का नाम अब्दुल रहमान दर्ज हो गया।

तनकी नं0 4– आया वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता की खरिद शुदा होने एवं कब्जा काश्त होने उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के कब्जे काश्त होने से वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की पात्रता रखते है।

तनकी नं0 5– दादरसी

वादी से वाद मे साक्ष्य तलब की गई वादी ने साक्ष्य मे वादी स्वयं सोहनबाई के व रमेश आ0 पूरालाल के बयान लेखबद्ध कराए तथा गवाह भॅवरलाल आ0 कालूलाल एवं देवलाल आ0 पूरालाल के बयान दर्ज करवाए गए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा भी कोई साक्ष्य पेश नही की गई।

वाद मे वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई वकील वादी ने उन्ही बातो को दोहराया जो वाद मे अंकित किया गया तथा निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड खरीद की गई है तथा कब्जा काश्त होने से वाद वादी स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। पैरोकार सरकार ने वहस मे निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खाते दर्ज रेकार्ड है तथा खातेदार पूर्व मे ही फोत हो चुका है उनके कोई वारिसान नही होना तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अपनी रिपोर्ट मे बताया गया है। इसके अतिरिक्त

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

बहस मे कोई तथ्य नही बताए गए।

वाद मे तनकीवाइज विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी नं0 1— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इसे सिद्ध करने हेतु जमाबंदी संवत् 2021—24 एवं मिलान क्षैत्रफल संवत् 2028—47 एवं जमाबंदी संवत् 2027—74 खाता सं0 293 किता 2 रकबा 6.08 बीघा पेश की गई। जिससे स्पष्ट होता है कि साबिक ख0नं0 का हाल खसरा नं0 भी 24 व 25 ही बना है। इस प्रकार वादीगण इस तनकी को सिद्ध करने मे सफल रहा है। अतः इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी नं0 2— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इसको सिद्ध करने के लिए रजिस्टर्ड विकय पत्र 22.08.1974 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जिससे विवादित आराजी वादीगण के पिता/पति द्वारा किमतन खरीदना पाया गया। वादीगण ने स्वयं के बयानो मे विवादित आराजी को खरीदना एवं कब्जे काश्त होना स्वीकार किया । गवाह भवरलाल आ0 कालूलाल ने भी विवादीत आराजी को वादीगण के पिता/पति द्वारा खरीदना एवं कब्जा काश्त होने की पुष्टि की है। इस प्रकार वादीगण इस तनकी को सिद्ध करने मे सफल रहा। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

तनकी नं0 3— इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण ने इसे सिद्ध करने हेतु जमाबंदी संवत् 2021—24 पेश की जिसमे विकयता के पति का नाम अब्दुल हक दर्ज रेकार्ड पाया गया तथा बंदोबस्त के दोरान बंदोबस्त कार्मिको द्वारा अब्दुल हक के स्थान पर अब्दुल रहमान दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। बंदोवस्त कार्मिको को रेकार्ड मे रद्दोबदल करने का अधिकार प्राप्त नही था। अतः इस प्रकार वादीगण इस तनकी को सिद्ध करने मे सफल रहा है। अतः इस तनकी का निर्णय भी बहक वादीगण के पक्ष मे पाए जाने से वादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी नं0 4— इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी नं.

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला झालावाड़

2 के परिपेक्ष मे इस तनकी पर विवेचन की आवश्यकता नही है।

क्रियात्मक आदेश

अतः तनकी वाईज विवेचन के पश्चात वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 25 रकबा 4 बीस्वा वाके ग्राम चोरखेड़ी तहसील पचपहाड़ का वादीगण को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा रेकार्ड मे विक्रेता ख्वाजा बेगम के पति का नाम अब्दुल रहमान के स्थान पर अब्दुल हक शुद्ध किए जाने की आज्ञा दी जाती है।

निर्णय आज दिनाक 27.07.2023 को हमारे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला झालावाड